ई0मेल0 / महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इंजी0 संस्थाएं।

पत्रांकः–प्राशिप / परिषद / 2025 / 5816 **लखनऊःदिनांक–** 05-12-2025

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर के पत्र संख्या I / 366168 / 2025–ई–ए0आई0सी0टी0ई0 / अनुमोदन(मिस) दिनांक 3–12–2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें(संलग्न)। जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा दिनांक 26–11–2025 को विज्ञापन जारी कर शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु अनुमोदन/अनुमोदन विस्तार की प्रकिया 28–11–2025 से प्रारंभ कर दी गयी है तथा ए0आई0सी0टी0ई0 की वेबसाइट पर Approval Process Handbook (APH) भी अपलोड कर दी गयी है। ए0आई0सी0टी0ई0 अनुमोदन प्रकिया 28 नवम्बर, 2025 से 20 दिसम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है।

निदेशालय के उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन विस्तार हेतु ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर **अंतिम तिथि 20–12–2025 से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।** यदि आपके स्तर से किसी प्रकार की उदासीनता बरती जाती है एवं शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु अनुमोदन विस्तार प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधानाचार्य की होगी।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

पृ0सं0–प्राशिप / परिषद / 2025 / 5817-21 **तद्दिनांक–** 05-12-2025

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
4. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, कानपुर।
5. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र।

(डॉ0 संतोष कुमार सिंह)
सचिव

E:\extension engg 26-27.docx

ई-मेल।

प्रेषक,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-I/366168/2025/ई-ए0आईसीटीई/अनुमोदन(मिस) दिनाँक-03-12-2025

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु राजकीय/अनुदानित/पीपीपी/निजी पालीटेक्निक संस्थान, उत्तर प्रदेश में संचालित किये जाने वाले समस्त पाठ्यक्रमों का ए0आई0सी0टी0ई0 से अनुमोदन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक ए0आई0सी0टी0ई0 के विज्ञापन सं0-AICTE/Regulation Bureau-AP/2026-27 दिनांक-26.11.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा दिनांक 26.11.2025 को विज्ञापन जारी कर यह अवगत कराया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु अनुमोदन/अनुमोदन-विस्तार की प्रक्रिया दिनांक 28.11.2025 से प्रारम्भ हो चुकी है तथा ए0आई0सी0टी0ई0 की वेबसाइट पर Approval Process Handbook (APH) भी अपलोड कर दी गयी है। ए0आई0सी0टी0ई0 अनुमोदन प्रक्रिया 28 नवम्बर, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने संस्थान में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के अनुमोदन हेतु ए0आई0सी0टी0ई0, नई दिल्ली के वेब पोर्टल पर अंतिम तिथि 20.12.2025 से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें, यदि आपके स्तर से किसी प्रकार की उदासीनता बरती जाती है एवं शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु संचालित/प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्य की होगी। राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं के ए0आई0सी0टी0ई0 अनुमोदन हेतु लगने वाला शुल्क का भुगतान छात्रनिधि मद से किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सभी संस्थाओं को अनुमोदन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी करें।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को निजी क्षेत्र की सभी संस्थाओं को आवश्यक निर्देश निर्गत

करन हेतु।
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
7. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, लखनऊ।
8. उप निदेशक, योजना, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

Digitally signed by
AZEEZ AHMAD
Date: 03-12-2025
16:35:10

(अजीज अहमद)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF GOVT. OF INDIA)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110 070
Ph. No.: 011-2958-1000/1050, 011-29581515
Website: www.aicte.gov.in

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2026-27

All India Council for Technical Education (AICTE) invites applications for:

1. **Setting up New Technical Institutions** at all the levels in Engineering and Technology, Management, Computer Applications, Applied Arts and Craft, Hotel Management and Catering Technology, Design and Planning
2. **Extension of Approval** for Existing Technical Institutions, Institutions Deemed to be Universities, or Universities (Central/State/Private).
3. **Open and Distance Learning (ODL) or Online Mode Programs** in Management and Computer Applications for Standalone Institutions or Institutions Deemed to be Universities.

Applications for the Academic Year 2026-27 must be submitted online on the AICTE Web Portal which would go live from **November 28, 2025**. The applicants are advised to thoroughly read the AICTE Approval Process Handbook (APH) 2024-25 to 2026-27 along with the amendments issued from time to time available at www.aicte.gov.in.

Submission Guidelines:

- The applicants seeking to establish new Technical Institutions must submit their applications through the "National Single Window System (NSWS)" available at https://www.nsws.gov.in, adhering to the provisions of the APH 2024-25 to 2026-27.
- Central, State, or Private Universities seeking AICTE approval for their Technical Programmes must apply for All programmes. Partial approval will not be permitted and would be subsequently withdrawn if obtained.
- For Institutions Deemed to be Universities, AICTE approval has been mandatory since the Academic Year 2018-19, in compliance with the Supreme Court order dated November 3, 2017 (CA No. 17869-17870/2017).
- Standalone Institutions, Institutions Deemed to be Universities offering or intending to offer ODL or online programs must submit applications as per the provisions laid out in the APH.

PTO....